-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 31.05.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2021 में दहेज की मांग को लेकर महिला की हत्या करने वाले पति को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 07 वर्ष के कारावास व 03 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **आपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2021 में दहेज की मांग को लेकर महिला की हत्या करने वाले पति को 07 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना नरैनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बैरागी पुरवा अंश करतल का रहने वाला मुलायम सिंह पुत्र लाला उर्फ लालाभइया अपनी पत्नी सियाबाई उम्र 24 वर्ष को दहेज में एक मोटरसाइकिल व 01 भैंस के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर दिनांक 31.07.2021 को उसकी हत्या कर दी।। इस सम्बन्ध में मृतका के पिता राजू पुत्र बादे नि0 तिन्दवारा थाना कोतवाली नगर की तहरीर पर थाना नरैनी पर मु0अ0सं0 110/21 धारा 498ए/304बी भा0द0वि0 व 3/4 DP एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री नितिन कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को दिनांक 28.10.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 03.12.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था। अभियोजक श्री प्रमोद द्विवेदी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी निशा पटेल तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र सिंह के अथक प्रयासों से अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ASJ-IV बांदा द्वारा 07 वर्ष के कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. मुलायम पुत्र लाला उर्फ लालाभइया नि0 बैरागी पुरवा अंश करतल थाना नरैनी।

अभियोग-

- मु0अ0सं0 110/21 धारा 498ए/304बी भा0द0वि0 व 3/4 DP एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।